न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 96 / 2023	03–02–2023	03–03–2023

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ,जिला अलवर निर्णय दिनाक 28.02.2022

उपस्थितः–

01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

02– श्री .... –वकील अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व / 2023 / जांच / 3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओ के अनुसरण में सुओमोटो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत संज्ञान लिया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर. / आवंटन / 2021–22 / 1357 दिनांक 02.03.2022 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 61 रकबा 2.03 है0 किस्म बारानी 2 मे से 0.30 है0 वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर भूमि का आवंटन इन्द्रा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति हरिजन निवासी ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर को किया गया है के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी / आवंटी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य / सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी अप्रार्थी द्वारा नियत अवधि में कोई जवाब / साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है, उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर. / आवंटन / 2021–22 / 1357 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ / टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प0 12–3 / राजस्व / 2022 / 8962–63

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओ की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया प्रदत्त निर्देशो की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी अभिशंषा अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, प्रकरण में वर्णित आराजी सिवायचक बारानी 2 आराजी खसरा नं. 61 रकबा 2.03 है0 किस्म बारानी 2 मे से 0.30 है0 वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर राजस्व रिकार्ड संवत् 2012, में भूमि का रकबा 1987 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन पहाड दर्ज है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोक हित नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/ 2021–22/1357 दिनांक 02.03.2022 विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (04) स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरो/फोलोअप कैम्पो मे नही किये गये, एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो व राजकीय भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश की प्राप्ति उसी ग्राम मे या विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नही किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुईए हो इस बाबत् कोई प्रमाण उपलब्ध नही है एवं जल संसाधन विभाग, खनन विभाग, वन विभाग से भी अनापत्ती प्राप्त नही की है। आवंटन के लिए विचारार्थ भूमि बाघ परियोजना सरिस्का के अन्तर्गत आती है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (टी) 3131 दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम धौलान कमाण्ड क्षेत्र मे आता है। आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है। प्रशासनिक जांच कमेटी सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखो की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितता का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियम की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रकरण मे आराजी खसरा नं. 61 रकबा 2.03 है0 किस्म बारानी 2 मे से 0.30 है0 वाके वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर आवंटी भूमि हीन किसान को आवंटन किया जाने के नियम है उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021–22/1357 दिनांक 02.03.2022 आवंटन नियम 1970 के आवंटन हेतु निर्धारित प्रकियात्मक अपेक्षाओ के वितरीत जारी किये गये है जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है एवं संवत् 2012, में भूमि का रकबा 1987 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन पहाड दर्ज है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोक हित नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। अतः प्रकरण स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22 /1357 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)